अध्याय-I

सामान्य

अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013–14 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका– 1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ब्योरे	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	8,089.67	9,869.85	12,612.10	16,253.08	19,960.68
	• कर भिन्न राजस्व	1,670.42	985.53	889.86	1,135.27	1,544.83
	कुल	**9,760.09**	**10,855.38**	**13,501.96**	**17,388.35**	**21,505.51**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	18,202.58	23,978.38	27,935.23	31,900.39	34,829.11[1]
	• सहायता अनुदान	7,564.16	9,698.56	9,882.98	10,277.92	12,584.03
	कुल	**25,766.74**	**33,676.94**	**37,818.21**	**42,178.31**	**47,413.14**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**35,526.83**	**44,532.32**	**51,320.17**	**59,566.66**	**68,918.65**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**27**	**24**	**26**	**29**	**31**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 21,505.51 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 31 प्रतिशत था। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 69 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11–लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0020 निगम कर (₹ 11,713.47 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 7,712.96 करोड़), 0032–सम्पत्ति पर कर (₹ 32.16 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 5,682.75 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 4,013.57 करोड़), 0044–सेवा पर कर (₹ 5,674.21 करोड़) तथा 0045–अन्य कर (– ₹ 1.00 लाख) लघु शीर्ष–901–निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

1.1.2 वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका– 1.2

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		निम्न की तुलना में वर्ष 2013–14 की वास्तविक में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	2013–14 का बजट अनुमान	2012–13 का वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,948.03	3,839.29	5,627.69	4,557.18	6,508.00	7,476.36	8,071.00	8,670.79	12,324.04	8,453.02	(–)31.41	(–)2.51
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,270.00	1,613.16	1,623.76	2,006.32	1,940.00	828.30	2,800.00	1,932.12	1,192.75	4,349.00	(+)264.62	(+)125.09
3.	राज्य उत्पाद	850.00	1,081.68	1,400.00	1,523.35	1,790.00	1,980.98	2,715.00	2,429.82	3,300.00	3,167.72	(–)4.01	(+)30.37
4.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	750.00	997.90	1,215.00	1,098.68	1,600.00	1,480.07	1,906.00	2,173.02	3,200.00	2,712.41	(–)15.24	(+)24.82
5.	वाहनों पर कर	335.00	345.13	550.00	455.43	537.00	569.13	644.40	673.39	800.00	837.48	(+)4.69	(+)24.37
6.	भू–राजस्व	76.22	123.96	112.17	139.02	125.20	167.49	185.00	205.45	205.00	201.71	(–)1.60	(–)1.82
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	63.06	66.63	90.25	65.22	60.70	54.69	60.70	102.55	66.17	141.31	(+)113.56	(+)37.80
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	32.50	21.92	24.29	24.65	24.99	25.52	41.99	28.99	34.14	50.43	(+)47.69	(+)73.92
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	0.81	शून्य	1.00	शून्य	23.30	29.56	31.00	36.95	32.59	47.60	(+)46.05	(+)28.82
कुल		**7,325.62**	**8,089.67**	**10,644.16**	**9,869.85**	**12,609.19**	**12,612.10**	**16,455.09**	**16,253.08**	**21,154.69**	**19,960.68**	**(–)5.64**	**(+)22.81**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत))

तालिका 1.2 से यह देखा जा सकता है कि बजट आकलन एवं वास्तविक में वर्ष 2013–14 के दौरान (–) 31.41 से (+) 264.62 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः करों के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वास्तविक में (–) 2.51 से (+) 125.09 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

संबंधित विभागों ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया थाः

मुद्रांक एवं निबंधन फीस : वर्ष 2012–13 के वास्तविक की तुलना में यह वृद्धि (24.82 प्रतिशत), निबंधित कागजातों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई।

माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2014 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (अगस्त 2014)।

हम यह अनुशंसा करते है कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविक में काफी भिन्नता पायी गयी।

1.1.3 वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका– 1.3
सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	राजस्व शीर्ष	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		निम्न की तुलना में वर्ष 2013–14 की वास्तविक में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	2013–14 का बजट अनुमान	2012–13 का वास्तविक
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	180.00	319.93	294.00	405.59	280.00	443.10	470.00	511.08	641.00	569.14	(–)11.21	(+)11.36
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.62	353.27	216.37	237.96	370.82	573.70	263.74	167.12	338.48	269.48	(–)20.39	(+)61.25
3.	सड़क एवं पुल	19.03	30.02	27.98	39.60	33.00	60.35	44.67	32.56	64.03	40.72	(–)36.40	(+)25.06
4.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	13.39	14.08	17.60	15.33	14.94	23.91	13.41	41.02	25.40	29.93	(+)17.83	(–)27.04
5.	पुलिस	42.27	11.89	56.52	11.85	12.62	9.26	67.83	25.01	70.59	27.27	(–)61.37	(+)9.04
6.	वानिकी एवं वन्य जीव	10.00	6.78	6.55	7.64	8.00	11.04	7.05	16.60	13.20	19.58	(+)48.33	(+)17.95
7.	मध्यम सिंचाई	3.50	14.80	4.00	15.45	4.00	17.59	4.00	13.99	4.00	18.22	(+)355.50	(+)30.24
8.	मत्स्य पालन	7.66	7.87	7.32	7.28	15.89	10.16	9.14	11.79	10.78	10.72	(–)0.56	(–)9.08
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	100.39	9.42	39.37	19.98	59.64	11.49	46.56	10.01	65.01	10.18	(–)84.34	(+)1.70
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	387.20	770.28	385.27	0.34	0.34	(–)383.78	1.20	22.03	0.86	0.28	(–)67.44	(–)98.73
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ		132.08		224.51		113.04		284.06		549.31		(+)93.39
	कुल		**1,670.42**		**985.53**		**889.86**		**1,135.27**		**1,544.83**		**(+)36.08**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत))

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविक में (–) 84.34 से (+) 355.50 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः, करों के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वास्तविक में (–) 98.73 से (+) 93.39 प्रतिशत तक की भिन्नता था।

संबंधित विभागों ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया थाः

खान एवं भूतत्व विभागः वर्ष 2012–13 के वास्तविक की तुलना में यह वृद्धि (11.36 प्रतिशत) बालू घाटों के डाक राशि में बढ़ोतरी के कारण थी तथा वर्ष 2013–14 में बजट आकलन की तुलना में 11.21 प्रतिशत की कमी, कई बालू घाटों की बन्दोवस्ती नहीं होने के कारण हुई।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविक में काफी भिन्नता पायी गयी।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2014 को बकाया राजस्व ₹ 2,593.05 करोड़ था, जिसमें से ₹ 536.77 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका– 1.4

राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,505.92	385.27	₹ 1,505.92 करोड़ में से ₹ 330.39 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 325.35 करोड़ एवं ₹ 12.55 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी एवं ₹ 3.38 करोड़ की वसूली सुधार/समीक्षा हेतु रोकी गई थी। ₹ 846.67 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	572.00	4.39	₹ 572.00 करोड़ में से ₹ 17 लाख की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 485.13 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 86.70 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।

3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	97.94	2.36	₹ 97.94 करोड़ में से ₹ 1.49 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 69.08 लाख तथा 8.22 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 95.67 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	राज्य उत्पाद	46.17	14.45	₹ 46.17 करोड़ में से ₹ 21.25 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 1.35 करोड़ एवं ₹ 5.08 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 13.77 लाख व्यवसायी/पक्ष के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी। ₹ 39.52 लाख माफी के योग्य थे तथा ₹ 22.99 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.05	9.46	₹ 10.05 करोड़ में से ₹ 8.88 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 4.52 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.13 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
6.	भू–राजस्व	148.01	शून्य	माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2014 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
7.	खान एवं भूतत्व	212.96	120.84	₹ 212.96 करोड़ में से ₹ 185.02 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 27.94 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
कुल		**2,593.05**	**536.77**	

(श्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया की ₹ 536.77 करोड़ की वसूली पाँच से अधिक वर्षों से लम्बित थे तथा इनकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। ₹ 1,081.10 करोड़ के बकाये विभागीय प्राधिकारियों के पास लम्बित थे। माफी हेतु वैसे प्रेषित मामले (₹ 39.52 लाख) का अनुसरण संबंधित पक्ष के साथ भी नहीं किया जा रहा था।

1.3 कर निर्धारण में बकाये

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क से संबंधित उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लंबित मामलों, निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों तथा वर्ष के अन्त में अंतिम निष्पादन के लिए लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका– 1.5

निर्धारण में बकाये

राजस्व शीर्ष	आरम्भ शेष	वर्ष 2013–14 में निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाये निर्धारण	वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निष्पादन की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 का 4 से)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,618	52,579	60,197	21,226	38,971	35.26
माल एवं यात्रियों पर कर	327	1,589	1,916	682	1,234	35.59
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर	1,867	879	2,746	899	1,847	32.74
विद्युत पर कर तथा शुल्क	283	49	332	24	308	7.23

(श्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

1.4 कर का अपवंचन

वाणिज्य–कर विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले तथा अतिरिक्त कर हेतु माँग का सृजन का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका–1.6

कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाये मामले	वर्ष 2013–14 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2013–14 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2014 तक लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की सं0	माँग की राशि	
1.	वाणिज्य–कर[2]	294	718	1,012	720	5.23	292
2.	राज्य उत्पाद	शून्य	25	25	शून्य	शून्य	25

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वाणिज्य–कर विभाग में वर्ष के आरंभ में लम्बित मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है।

---

[2] वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

1.5 वापसी के लम्बित मामले

वर्ष 2013–14 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष 2013–14 के अंत में लम्बित मामले, जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका– 1.7

वापसी के लम्बित मामलों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,708	80.67	100	1.09	6	0.02	433[3]	15.51
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	477	101.42	12	17.10	शून्य	शून्य	632	16.38
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	501	102.07	9	3.38	शून्य	शून्य	431	11.83
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,684	80.02	103	14.81	6	0.02	634	20.06

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 70 (1) के अनुसार अगर आधिक्य राशि को आदेश होने के 90 दिनों के अंदर व्यवसायी को नहीं वापस किया जाता है तो आधे प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

बिक्री व्यापार आदि पर कर के वापसी मामलों के दावों का निष्पादन प्राप्त दावों की तुलना में काफी धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। उन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदनों को, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकनों का शीघ्र अनुपालन, त्रुटियों एवं चूको का सुधार तथा इसके निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। महत्वपूर्ण वित्तीय त्रुटियों को विभाग एवं सरकार के प्रमुख को प्रतिवेदित की जाती है।

---

[3] राज्य उत्पाद के संबंध में 433 मामलों का आरम्भ शेष, जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पूर्व वर्ष में प्रतिवेदित तथा पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा में सम्मिलित 438 अन्त शेष से भिन्न था।

दिसम्बर 2013 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से स्पष्ट था कि जून 2014 के अंत तक 4,806 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 17,825.55 करोड़ से सन्निहित 27,764 कंडिकाएँ लंबित थी, जैसाकि विगत दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़ों के साथ **तालिका 1.8** में दी गई है:

तालिका– 1.8

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निष्पादन के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,858	4,165	4,806
लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	20,979	23,327	27,764
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	8,754.19	10,847.46	17,825.55

1.6.1 30 जून 2014 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि **तालिका 1.9** में दी गई है:

तालिका– 1.9

विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	691	8,936	10,089.28
		प्रवेश कर	180	554	247.34
		विद्युत शुल्क	24	29	39.68
		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	22	41	7.34
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	507	2,658	1,656.59
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	1,799	7,971	2,751.81
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	609	3,660	1,321.37
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	513	1,430	238.29
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	461	2,485	1,473.85
कुल			**4,806**	**27,764**	**17,825.55**

यहाँ तक कि वर्ष 2013–14 के दौरान निर्गत किए गए 1,773 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के एक माह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के

कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उचित कदम उठा सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के त्वरित निष्पादन की प्रगति एवं अनुश्रवण करने के लिए सरकार लेखापरीक्षा समितियाँ गठित करती है। वर्ष 2013–14 के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग के साथ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक भी कंडिका निष्पादित नहीं की जा सकी। पूरे वर्ष (2013–14) के दौरान सिर्फ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित किया जाना, सरकार को ज्यादा संख्या में बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निष्पादन के अवसर से वंचित कर दिया था, जैसाकि पूर्ववर्त्ती कंडिका में वर्णित है।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.6.3 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

सामान्यतः लेखापरीक्षा के एक माह पूर्व ही स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्यक्रम तैयार कर तथा कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों को, जहाँ तक संभव हो, इसकी अग्रिम सूचना भी भेजी जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा की संवीक्षा के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार रख सकें।

वर्ष 2013–14 के दौरान 587 कर निर्धारण संचिकाएँ, रिटर्न, वापसी, पंजियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से किसी भी मामले में सन्निहित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। इन मामलों का विवरण **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें लेखापरीक्षा किए गए	मामलों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई
राजस्व एवं भूमि सुधार	2013–14	500
वाणिज्य–कर	2013–14	34
परिवहन	2013–14	11
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य (निबंधन)	2013–14	8
खान एवं भूतत्व	2013–14	34
कुल		**587**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को, महालेखाकार संबंधित विभागों के प्रधान

सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों/सरकार द्वारा अप्राप्त उत्तर को निश्चित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं के अंत में संसूचित किया जाता है।

चौवालीस प्रारूप कंडिकाओं, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक दीर्घ कंडिका भी शामिल है, को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को जून और अगस्त 2014 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से भेजा गया था। स्मार पत्रों (अगस्त 2014) के बाबजूद 10 प्रारूप कंडिकाओं के संबंध में संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिए जाने के कारण उन कंडिकाओं को प्रतिवेदन में बिना विभाग के मंतव्य के ही शामिल किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही–संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्य प्रणाली ने दिसम्बर 2002 में यह अधिसूचित किया कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद विभागों द्वारा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई आरम्भ की जायेगी एवं कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणी, विधानसभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर, लोक लेखा समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे। इन प्रावधानों के बाबजूद विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब किए गए। जुलाई 2010 से अगस्त 2013 के बीच 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित बिहार सरकार के राजस्व प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें कुल 169 कंडिकाएं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थी, को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। 31 मार्च 2003–04 से 2012–13 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 98 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से चयनित कुल 169 कंडिकाओं पर चर्चा की तथा इनमें से तीन कंडिकाओं पर की गई अनुशंसाओं को लोक लेखा समिति के अनुशंसा प्रतिवेदन में शामिल कर वर्ष 2013–14 के दौरान विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। हालाँकि लोक लेखा समिति की तीन अनुशंसाओं पर निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध तथा परिवहन विभागों से संबंधित कार्रवाई टिप्पणी अबतक अप्राप्त है।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दो से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दो के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में एक विभाग से संबंधित पाँच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं लेखापरीक्षा निष्पादन पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया तथा इसे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व शीर्ष ''0030 मुद्रांक एवं निबंधन फीस'' के तहत् निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग से संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.7.1 से 1.7.3 में उल्लिखित है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 मार्च 2014 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.11

निरिक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम स॰	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			अंत शेष		
		नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि
1	2008–09	336	940	79.75	41	103	64.00	शून्य	शून्य	शून्य	377	1,043	143.75
2	2009–10	377	1,043	143.75	34	71	2.90	शून्य	शून्य	शून्य	411	1,114	146.65
3	2010–11	411	1,114	146.65	24	53	22.43	शून्य	शून्य	शून्य	435	1,167	169.09
4	2011–12	435	1,167	169.09	29	54	52.18	शून्य	3	0.005	464	1,218	221.26
5	2012–13	464	1,218	221.26	45	188	12.90	शून्य	4	0.20	505	1,402	233.96

सरकार पुराने कंडिकाओं के निष्पादन हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समितियों की तदर्थ बैठकें आयोजित करती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 के प्रारम्भ में कुल 336 निरीक्षण प्रतिवेदनों के कुल 940 कंडिकाएँ लम्बित थी, जो वर्ष 2012–13 के अन्त में संचयित होकर कुल 505 निरिक्षण प्रतिवेदन तथा 1,402 कंडिकाएँ हो गई। यह इंगित करता है कि इस संबंध में विभाग के द्वारा कोई प्रर्याप्त कदम नहीं उठाया गया था जिसके फलस्वरूप बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का भारी संचयन हुआ।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामलें एवं उनमें की गई वसूली की स्थिति **तालिका 1.12** में वर्णित है।

तालिका–1.12

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत मामलों के वसूली की संचयी स्थिति
2008–09	4 (एक आई.टी. समीक्षा सहित)	1.09	4	1.09	0.67
2009–10	1 (समीक्षा)	1.48	1 (आंशिक)	0.34	0.11
2010–11	1	0.61	1 (आंशिक)	0.61	0.55
2011–12	2	0.68	2	0.68	0.52
2012–13	3	6.40	3	6.40	0.19

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों मे भी वसूली की स्थिति काफी धीमी रही। स्वीकृत मामलों की वसूली संबंधित पक्षों से वसूलनीय बकाये के रूप में माँग की जानी थी। विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत मामलों के निराकरण सें संबंधित कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। पुनः स्वीकृत लेखापरीक्षा अवलोकनों सहित बकाये मामले निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। उचित तंत्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों की वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित बकायों की शीघ्र वसूली हेतु अनुश्रवण के लिए कदम उठा सकती है।

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एक्जिट कन्फरेंस में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रुप देने के समय विभाग/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

विगत पाँच वर्षों में निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग की निम्न निष्पादन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी। अनुशंसाओं का विवरण एवं उनकी स्थिति **तालिका 1.13** में दिया गया है।

तालिका–1.13

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष/निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
2009–10 मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण	6	बजट अनुमानों को तैयार करने में बिहार बजट कार्यप्रणाली के नियम 54 के प्रावधानों का आवश्यक रूप से अनुपालन किया जाना;	उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं
		आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने को सुनिश्चित किया जाना एवं इसकी प्रभावशीलता की आवधिक समीक्षा किया जाना;	
		सभी लोक कार्यालयों का निरीक्षण एवं इसके लिए नियत प्रतिवेदनों/रिटर्न तथा इसका आवधिक प्रस्तुतीकरण के लिए मानक तय करना;	
		राजस्व वसूली नीलामवाद एवं इसके अनुवर्त्ती अनुपालन के लिए एक समय नियत करना;	
		प्रेषित/जब्त मामलों को भेजने एवं इसके निराकरण के लिए समय निर्धारित किया जाना;	
		किसी निकाय/प्राधिकार/स्कोर की ओर से राजस्व के संग्रहण हेतु आकस्मिक व्यय का दर निर्धारित किया जाना।	

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के ईकाई कार्यालयों को उनके राजस्व की स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों के पूर्व की प्रवृति तथा अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिमों की श्रेणी में बांटा जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को, सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण मामलों एवं कर प्रशासन जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर जारी श्वेत पत्र, वित्त आयोग (केन्द्र एवं राज्य) का प्रतिवेदन, करारोपण सुधार समिति की अनुशंसाओं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व उगाही की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के तत्वों, पिछले पाँच वर्षों में लेखापरीक्षा आच्छादन एवं इसका प्रभाव आदि के जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 963 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयाँ थी, जिसमें 295 ईकाइयों को योजना में लिया गया तथा 286 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की गई, जो कुल लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों का 29.70 प्रतिशत है। विवरण **परिशिष्ट–I** में दर्शाये गये हैं।

कर प्रशासन की प्रभावशीलता को जाँचने के लिए उपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावे एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गई।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013–14 के दौरान वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व तथा खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ से संबंधित 286 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जिनमें अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के कुल 3,357 मामलों, जिनमें कुल ₹ 2,310.97 करोड़ की राशि सन्निहित थी, परिलक्षित हुए। अप्रैल 2013 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 785.06 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

1.10 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 'प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 44 कंडिकाऐं (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों, जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) हैं जिसमें ₹ 1,403.80 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 841.24 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 16.53 करोड़ की वसूली की गई। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से VI में की गई है।